

सचिवालय

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति
शासकीय सह-शिक्षा पॉलीटेक्निक परिसर, बैरन बाजार रायपुर (छ0ग0)
☎ : 0771 - 2420055 - Email : cgafrc@gmail.com

क्रमांक/पीए/एएफआरसी/2026/304
प्रति,

रायपुर, दिनांक :17/09/2026

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन,
नया रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)

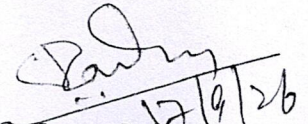
विषय:-बी0एड0/एम0एड0 पाठ्यक्रम में अंतिम फीस निर्धारण संबंधी अधिसूचना जारी करने बाबत।

-----0000-----

उपर्युक्त विषयांतर्गत छ0ग0 राज्य के विभिन्न निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में संचालित बी0एड0/एम0एड0 पाठ्यक्रम का फीस का निर्धारण प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा कर, दिनांक 03/09/2026 को संकल्प पारित किया गया। जिसे अधिसूचना जारी करने हेतु संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

कृपया शीघ्र अधिसूचना जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:- संकल्प उपरोक्तानुसार।


(डॉ.एस.के. पाण्डेय)
अध्यक्ष

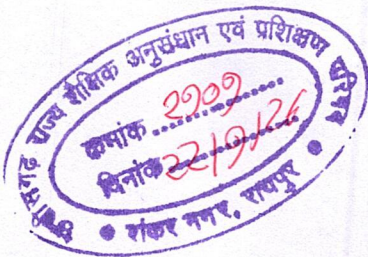
 प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति
छत्तीसगढ़ शासन
रायपुर, दिनांक :17/09/2026

क्रमांक/पीए/एएफआरसी/2026/305
प्रतिलिपि:-

संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बीटीआई ग्राउंड, शंकर नगर, रायपुर छ0ग0 की ओर बी0एड0 पाठ्यक्रम में अंतिम फीस निर्धारण संबंधी पारित संकल्प दिनांक 03/09/2026 की छायाप्रति शासन से शीघ्र अधिसूचना हेतु एवं वेबसाईड में अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

सीड प्रोसेस

शि0शि0
18/09/26




(डॉ.एस.के. पाण्डेय)
अध्यक्ष

 प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति
छत्तीसगढ़ शासन



APR 19 1974
LIBRARY

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति

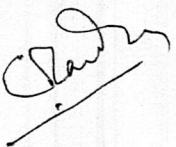
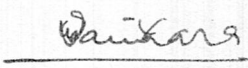
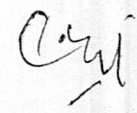
(छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण)
अधिनियम, 2008 के अंतर्गत गठित)

विषय :- छ.ग.राज्य के विभिन्न निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में संचालित बी. एड. (बैचलर ऑफ एजुकेशन) 2 वर्षीय एवं एम.एड. (मास्टर ऑफ एजुकेशन) 2 वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु फीस का निर्धारण ।

संकल्प दिनांक - 03/09/2026

1. छ.ग. निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008, (जिसे आगे “अधिनियम, 2008” से उल्लेखित किया जाएगा), की धारा 4 (1) एवं (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत छ.ग. शासन द्वारा प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति (जिसे आगे ए.एफ.आर.सी. से उल्लेखित किया जाएगा), जिसे निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन एवं फीस के निर्धारण के लिए गठित किया गया है।
2. उपरोक्त प्रदत्त शक्तियों के तहत ए.एफ.आर.सी. इस संकल्प द्वारा निम्नांकित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय क्रमशः 1. पं. हरिशंकर शुक्ला मेमोरियल महाविद्यालय, कचना रोड, रायपुर (छ.ग.), 2. प्रगति कॉलेज, सेन्टर एवेन्यू, चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.) 3. ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.) 4. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेडुका, जिला- गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 5. दिशा कॉलेज, रामनगर, कोटा मार्ग, रायपुर (छ.ग.) 6. मार्गदर्शन संस्थान शिक्षा महाविद्यालय, श्री सर्वेश्वरी तलवापारा, बैकुण्ठपुर, कोरिया (छ.ग.), 7. दुर्गा महाविद्यालय, के.के.रोड़, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.), 8. सेन्ट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एन.एच.06, रिंग रोड़ नंबर-3, ग्राम-तुलसी, मंदिरहसौद, रायपुर (छ.ग.) 9. समाधान कॉलेज, ग्राम- फरी, पोस्ट-बीजाभांठा, जिला बेमेतरा (छ.ग.) 10. स्पेक्ट्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नरदहा, तहसील-मंदिर हसौद, आरंग, जिला- रायपुर (छ.ग.) 11. रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, 58-59, सुंदरनगर, रायपुर (छ.ग.) 12. सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, राजिम, तहसील अभनपुर,

जिला- रायपुर (छ.ग.) 13. दिशा कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सत्या विहार, विधानसभा रोड, चंद्रखुरी, रायपुर (छ.ग.) 14. डॉ.आर.एन.एस. शिक्षा महाविद्यालय, वार्ड नंबर-03, महुआपारा, जिला-मनेन्द्रगढ़- चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) 15. विप्र कला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जी.ई. रोड़, आमनाका, रायपुर (छ.ग.) 16. विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, परमहंस नगर, कोटा, रायपुर (छ.ग.) 17. विकास शिक्षा महाविद्यालय, देवपुरी, फुंडहर रोड, सब्जी मंडी के बाजू में, डूमरतराई, रायपुर (छ.ग.) 18. नेताजी सुभाष कॉलेज, बेलभाटा, अभनपुर, रायपुर (छ.ग.) 19. महात्मा गांधी कॉलेज, गुरुद्वारा के पीछे, स्टेशन रोड, रायपुर (छ.ग.) 20. के.डी. रूगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, वीर सावरकर नगर, नंदनवन, जिला-रायपुर (छ.ग.) 21. सी.आई.टी. बी.एड. कॉलेज, विद्याविहार, एन.एच.-43, भेलवाडीह, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) 22. वीरेन्द्र दीपक शिक्षा महाविद्यालय, मेन रोड, पोस्ट-जामगांव, फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद (छ.ग.) 23. सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, सुभाष नगर, अंबिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.) 24. सांभवी स्कूल ऑफ एजुकेशन, ग्राम-दुसेरा, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) 25. सेंट विसेंट पेलोटी कॉलेज, लोधीपारा कांपा, रायपुर (छ.ग.) 26. संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय, राजमोहनी वार्ड-12, अंबिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.) 27. साईं सदन एजुकेशन स्कूल शिक्षा महाविद्यालय, ग्राम-बेंदरी, ब्लॉक-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) 28. पार्वती इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग रिसर्च एंड मैनेजमेंट, बी.एड.कॉलेज केम्पस, मदनपुर, पोस्ट-सिलफिली, जिला-सुरजपुर (छ.ग.) 29. गुरुकुल इंस्टीट्यूट, कृषि मंडी के पीछे, जिला- गरियाबंद (छ.ग.) 30. इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस, जनपद पंचायन के पीछे, देवभोग रोड़, जिला- गरियाबंद (छ.ग.) 31. सूर्या कॉलेज, गीदम रोड़, जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.) 32. आदर्श महाविद्यालय, कुशाभाउ ठाकरे युनिवर्सिटी के पीछे, सेजबहार कॉलोनी, मुरा रोड़, दतरेंगा, जिला-रायपुर (छ.ग.) 33. श्रीराम कॉलेज, सारागांव, बलौदा बाजार रोड़, खरोरा, जिला-रायपुर (छ.ग.) 34. आयुष कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेडुका, जिला-जीपीएम, 35. आयुष कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मरवाही, जिला-जीपीएम 36. एस.एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सारबहार, पेण्ड्रा रोड़, जिला- जीपीएम में संचालित बी.एड. 2 वर्षीय एवं एम.एड. 2 वर्षीय पाठ्यक्रमों का सत्र 2026-2027,

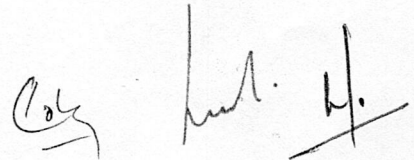
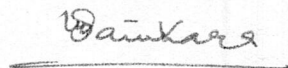


2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए फीस का पुर्ननिर्धारण अंतिम रूप से किया जा रहा है।

3. फीस के निर्धारण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय और प्रदेश में पूर्व में गठित झा समिति की अनुशंसाओं एवं अधिनियम, 2008 की धारा 9(1) में वर्णित बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा गया।
4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (Islamic Academy of Education Vs. State of Karnataka) के प्रकरण में शुल्क के संबंध में जो मुख्य बिन्दु फीस निर्धारण हेतु वर्णित किये हैं, जिसका उल्लेख पैरा-154 एवं 198 में किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

154. The fee structure, thus, in relation to each and every college must be determined separately keeping in view several factors, including facilities available, infrastructure made available, the age of the institution, investment made, future plan for expansion and betterment of the educational standard etc. The case of each institution in this behalf is required to be considered by an appropriate committee. For the said purpose, even the books of accounts maintained by the institution may have to be looked into. Whatever is determined by the Committee by way of fee structure having regard to relevant factors, some of which are enumerated herein before, the management of the institution would not be entitled to charge anything more.

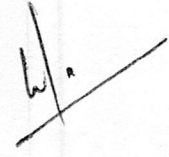
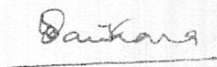
198. Thirdly, to ensure high standard of education and for that purpose to ensure admission to the most eligible candidates, requiring merit in a poor country like ours, the tuition and other fees should be within the reach of common people.



5. इसी प्रकार माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा T.M.A. PAI FOUNDATION Vs.STATE OF KARNATAKA (2002) 8 SCC 481 का न्याय दृष्टांत जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के पैरा 56 एवं पैरा 57 में निम्नानुसार दिशा-निर्देश दिए हैं:-

56. Different courses of study are usually taught by teachers who have to be recruited as per qualifications that may be prescribed. It is no secret that better working conditions will attract better teachers. More amenities will ensure that better students seek admission to that institution. One cannot lose sight of the fact that providing good amenities to the students in the form of competent teaching faculty and other infrastructure costs money

57. We, however, wish to emphasize one point, and that is that in as much as the occupation of education is, in a sense, regarded as charitable, the Government can provide regulations that will ensure excellence in education, while forbidding the charging of capitation fee and profiteering by the institution. Since the object of setting up an educational institution "charitable", it is clear that an educational institution cannot charge such a fee as is not required for the purpose of fulfilling that object. To put it differently, in the establishment of an educational institution, the object should not be to make profit, in as much as education is essentially charitable in nature. There can however be a reasonable revenue surplus, which may be generated by the educational institution for the purpose of development of education and expansion of the institution.



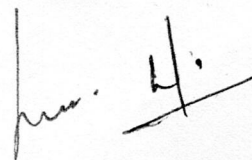
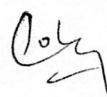
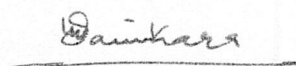
6. फीस के निर्धारण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा P.A.Inamdar Vs. State of Maharashtra (2005 AIR SCW 3923 (Seven Judges Bench) के पैरा-92 में वर्णित पर्यवेक्षण का भी यहां पर उल्लेख किया जाना आवश्यक है:-

92. "Education, accepted as a useful activity, whether for charity or for profit, is an occupation. Nevertheless, it does not cease to be a service to the society. And even though an occupation, it can-not be equated to a trade or a business"

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्टिन डेंटल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेंटर विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य (AIR-2016, SC 2601) में भी सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख अपने निर्णय के पैरा 175 और 176 में किया है, जैसा कि अधिनियम, 2008 में भी वर्णित है :-

175: From the above discussion, it clearly emerges that in exercise of their "right to occupation", private institutions cannot transgress the rights of the students. Discernibly, the Act does not give unbridled power to the authority to determine the fee. Determination of fee has to be based on the factors stipulated in Section 9 of the Act. Further, an opportunity of appeal is also provided for in the Act. 2007 to the aggrieved. Fundamental rights of colleges to run their administration, includes fixation of fee. However, such right in turn has to be balanced with the rights of the students, so that they are not subjected to exploitation in the form of profiteering.

176: For the foregoing discussion, I hold that the State has the legislative competence to enact the impugned legislation act 2007 to hold common entrance test for admission to professional educational institutions and to determine the fee and the High Court has rightly upheld the validity of the impugned legislation. Regulations sought to be imposed by the impugned legislation on admission by common entrance test conducted by the State



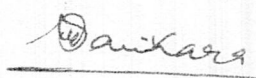
and determination of fee are in compliance of the directions and observations in T.M.A. Pai, (AIR 2003 SC 355) Islamic Academy of Education (AIR 2003 SC 3274) and P.A. Inamdar (AIR 2005 SC 3226). Regulations on admission process are necessary in the larger public interest and welfare of the student community to ensure fairness and transparency in the admission and to promote merit and excellence. Regulation on fixation of fee is to protect the rights of the students in having access to higher education without being subjected to exploitation in the form of profiteering. With the above reasonings, I concur with the majority view in upholding the validity of the impugned legislation and affirm the well merited decision of the High Court.

8. छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 की धारा-9 में यह उल्लेखित है कि :-

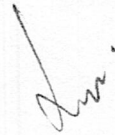
1. समिति सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली शुल्क विहित की गई रीति में निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी:-
 - (क) सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था की अवस्थिति:
 - (ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति:
 - (ग) भूमि और भवन का मूल्य:
 - (घ) उपलब्ध अवसंरचना, अध्यापन, अध्यायनेत्तर कर्मचारिवृंद और उपस्कर:
 - (ङ) प्रशासन तथा संधारण पर व्यय:
 - (च) व्यावसायिक संस्था की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक युक्तियुक्त आधिक्य:
 - (छ) कोई अन्य सुसंगत कारक :

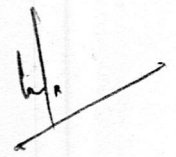
9. इस तरह उपरोक्त धारा-9 में वर्णित प्रावधान के अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो बिन्दु फीस के पुनरीक्षण/निर्धारण के लिए निर्धारित किए हैं, उनको भी ध्यान में रखने के लिए ए.एफ.आर.सी. के समिति द्वारा निम्नांकित संस्थाओं का वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा एवं अवलोकन किया गया:-





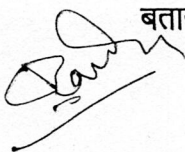
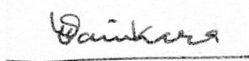


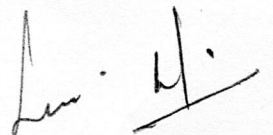




10. पं. हरिशंकर शुक्ला मेमोरियल महाविद्यालय, कचना रोड, रायपुर (छ.ग.) में संचालित बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से दिनांक 23/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. ममता शर्मा, प्राचार्य एवं डॉ. संजय अवस्थी, उप प्राचार्य उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था पंडित हरिशंकर शुक्ल स्मृति सेवा समिति द्वारा संचालित है। संस्था में बी.एड. एवं एम.एड. के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित होते हैं। टीचिंग एवं अन्य स्टॉफ तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं, संस्था में स्मार्ट क्लॉस के साथ-साथ पुस्तकालय, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला उपकरण, छात्रावास एवं खेलकूद मैदान उपलब्ध हैं जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। संस्था में एजुकेशन में पी.एच.डी. के लिये रिसर्च सेंटर है एवं 5 सपोर्टिंग स्टॉफ एवं 9 पी.एच.डी. स्टूडेंट कार्यरत है। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए रु. 43,000/- एवं एम.एड. पाठ्यक्रम के लिए 51,850/- निर्धारित करने का निवेदन किया है। संस्था को 2024 में NAAC के द्वारा B+ श्रेणी प्रदान किया गया है। संस्था में अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित हैं अतः आय-व्यय की संयुक्त आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस स्थिति में केवल बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु आय-व्यय का आकलन नहीं किया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के संयुक्त आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 5,07,088/- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

11. प्रगति कॉलेज, सेन्टर एवेन्यू, चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.) में संचालित बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से दिनांक 23/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. सौम्या नैय्यर, प्राचार्य उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है तथा संस्था में अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित हैं

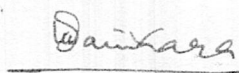



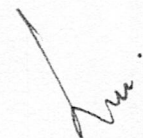
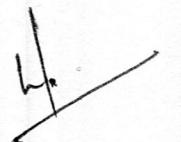


। यह संस्था छत्तीसगढ़ एजुकेशनल सोसायटी द्वारा संचालित है । संस्था में छात्रावास, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय (डिजिटल) व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है । टीचिंग एवं अन्य स्टॉफ तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. एवं एम.एड. दोनों पाठ्यक्रम के लिए पूर्व निर्धारित फीस से बढ़ाकर निर्धारित करने का निवेदन किया है। संस्था में अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित हैं अतः आय-व्यय की संयुक्त आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है । इस स्थिति में केवल बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु आय-व्यय का आकलन नहीं किया जा सकता है । वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के संयुक्त आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 5,07,088/- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है । शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

12.

ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.) में संचालित बी. एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से दिनांक 23/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. रिया तिवारी, प्राचार्य उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था मानव मित्र सोसायटी द्वारा संचालित है । संस्था में छात्रावास, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय (डिजिटल) व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है । टीचिंग एवं अन्य स्टॉफ तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था में एजुकेशन में शोध हेतु महाविद्यालय में 6 पी.एच.डी. स्टूडेंट सहित 4 रिसर्च गाईड है। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. एवं एम. एड. दोनों पाठ्यक्रम के लिए पूर्व निर्धारित फीस से 10 प्रतिशत फीस बढ़ाने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के संयुक्त आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 48,64,656.40 का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है ।

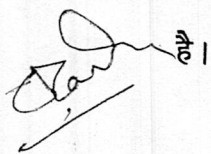
शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

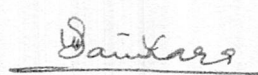
13. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेडुका, जिला- गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में संचालित बी.एड. एवं एम. एड. पाठ्यक्रमों का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से दिनांक 03/08/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. संजीव कुमार सिंह, प्राचार्य उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था मेडुका कृषि शिक्षण समिति द्वारा संचालित है। संस्था में छात्रावास नहीं है, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय (डिजिटल नहीं है) व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। टीचिंग एवं अन्य स्टॉफ (विश्वविद्यालय परिनियम के अनुसार नियुक्त किया जाना है) तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु फीस रुपये 45,000/- एवं एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु उचित फीस निर्धारित करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 22,74,173/- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

14. दिशा कॉलेज, रामनगर, कोटा मार्ग, रायपुर (छ.ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से दिनांक 23/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. ए.के. तिवारी, प्राचार्य एवं डॉ. सौम्या तिवारी, विभागाध्यक्ष उपस्थित हुए। उन्हें अपनी पक्ष बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था दिशा एजुकेशन सोसायटी द्वारा संचालित है। संस्था में छात्रावास, खेलकूद के मैदान,

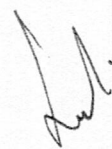
पुस्तकालय (डिजिटल एवं ई-बुक कम्प्यूटर सहित) व प्रयोगशालायें (NCTE के अनुरूप) उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। टीचिंग स्टाफ एवं अन्य स्टाफ तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए फीस रु. 60,000/- निर्धारित करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 98,60,324.00/- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

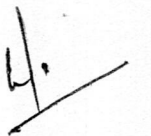
15. मार्गदर्शन संस्थान शिक्षा महाविद्यालय, श्री सर्वेश्वरी तलवापारा, बैकुण्ठपुर, कोरिया (छ.ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से दिनांक 23/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. ए. सिंह, प्राचार्य एवं एन.पी. सिंह, संचालक उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। संस्था में मार्गदर्शन संस्थान सोसायटी द्वारा अन्य पाठ्यक्रम के साथ-साथ बी.एड. पाठ्यक्रम भी संचालित है। संस्था में छात्रावास, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय (डिजिटल नहीं है) व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। टीचिंग एवं अन्य स्टाफ (विश्वविद्यालय परिनियम के अनुसार नियुक्त किया जाना है) छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए रुपये 60,000/- फीस निर्धारित करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के संयुक्त आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 2,05,694.08/- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।











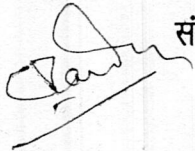
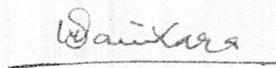
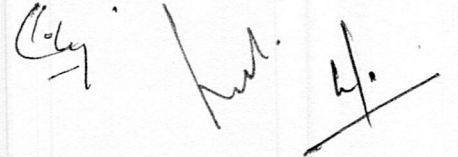
16. दुर्गा महाविद्यालय, के.के.रोड़, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से दिनांक 24/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. प्रोतिभा मुखर्जी, साहूकार, प्राचार्य एवं प्रतिभा दुबे उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। संस्था में दुर्गा एजुकेशन सोसायटी द्वारा अन्य पाठ्यक्रम के साथ-साथ बी.एड. पाठ्यक्रम भी संचालित है। संस्था में छात्रावास नहीं है एवं खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय (डिजिटल एवं ई-बुक कम्प्यूटर सहित) व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। टीचिंग एवं अन्य स्टाफ (विश्वविद्यालय परिनियम के अनुसार नियुक्त किया जाना है) तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए रुपये 45,000/- फीस निर्धारित करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के संयुक्त आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 53,69,782.72/- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

17. सेन्ट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एन.एच.06, रिंग रोड़ नंबर-3, ग्राम-तुलसी, मंदिर हसौद, रायपुर (छ.ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से दिनांक 24/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के श्रीमती वैशाली ग्वारले, प्राचार्य एवं डॉ. नंदलाल निर्मलकर उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था प्रेरणा एजुकेशन सोसायटी रायपुर द्वारा संचालित है। संस्था में छात्रावास सुविधा उपलब्ध नहीं है, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। संस्था में समाधान स्वावलंबन केन्द्र संचालित होता है। टीचिंग एवं अन्य स्टाफ तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज

प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए फीस 40,000/- निर्धारित करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 32,36,385.32/- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

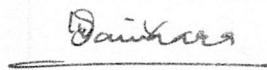
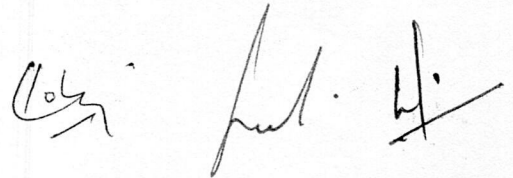
18. समाधान कॉलेज, ग्राम- फरी, पोस्ट-बीजाभांठा, जिला बेमेतरा (छ.ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से दिनांक 24/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के अवधेश पटेल, प्राचार्य उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था सर्वतोमुखी समाधान शिक्षा संस्कार समिति सोसायटी द्वारा संचालित है। संस्था में छात्रावास सुविधा उपलब्ध नहीं है, खेलकूद के मैदान उपलब्ध है एवं संस्था को NAAC-Grade A 2022 June को 3.04 मिला है। पुस्तकालय (डिजिटल कम्प्यूटर सहित) व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। टीचिंग एवं अन्य स्टॉफ (विश्वविद्यालय परिनियम के अनुसार नियुक्त नहीं है) तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए रुपये 40,000/- फीस निर्धारित करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 53,328.00 का घाटा (Deficit) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

19. स्पेक्ट्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नरदहा, तहसील-मंदिर हसौद, आरंग, जिला- रायपुर (छ.ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से दिनांक 24/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. बीजी बहादूर, प्राचार्य उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर

दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था नालंदा एजुकेशन सोसायटी रायपुर द्वारा संचालित है। संस्था में छात्रावास नहीं है, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय (डिजिटल नहीं है) व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। टीचिंग एवं अन्य स्टॉफ (विश्वविद्यालय परिनियम के अनुसार नियुक्त नहीं है) तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए रुपये 36,000/- फीस निर्धारित करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 3,970/- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

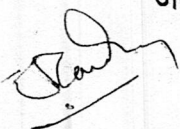
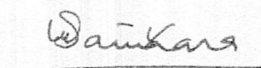
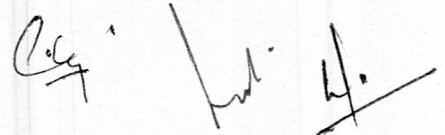
20. रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, 58-59, सुंदरनगर, रायपुर (छ.ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से दिनांक 24/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. सुरमणी मुंगदा, प्राचार्य, डॉ. ऋषिराज सिंह ठाकुर एवं डॉ. बीना अवस्थी, समन्वयक उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था श्रीराम ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा संचालित है। संस्था में छात्रावास, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय (डिजिटल) व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। टीचिंग एवं अन्य स्टॉफ तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं जिन्हें विश्वविद्यालय परिनियम के अनुसार नियुक्त किया जाना है। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए रु. 40,000/- फीस निर्धारित करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 28,74,263/- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना

लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

21. सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, राजिम, तहसील अभनपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से दिनांक 28/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. शोभा गावरी, प्राचार्य उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था चित्रोत्पला शिक्षण समिति द्वारा संचालित है। संस्था में छात्रावास, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय (डिजिटल एवं ई बुक) व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। संस्था को NAAC (B++) 2.94 प्राप्त है टीचिंग एवं अन्य स्टॉफ (विश्वविद्यालय के परिनियम के अनुरूप नहीं है) तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए रु. 40,000/- फीस निर्धारित करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 47,23,272.88/- का घाटा (Deficit) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

22. दिशा कॉलेज मैनेजमेंट स्टडिइज, सत्यम विहार, चन्दखुरी मार्ग, पचेड़ा, रायपुर (छ.ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से दिनांक 28/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के श्रीमती भावना ठाकुर, मैनेजमेंट इंर्चाज एवं ऋषभ उपाध्याय, उपस्थित हुए। उन्हें अपनी पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था दिशा एजुकेशन सोसायटी द्वारा संचालित है। संस्था में छात्रावास, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय व प्रयोगशालायें (NCTE के अनुरूप) उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। टीचिंग स्टॉफ (विश्वविद्यालय के

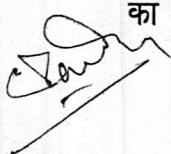
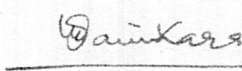
परिनियम के अनुरूप नहीं है) एवं अन्य स्टॉफ तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए फीस रु. 35,000/- निर्धारित करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 35,96,033/- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

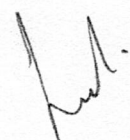
23. डॉ.आर.एन.एस. शिक्षा महाविद्यालय, वार्ड नंबर-03, महुआपारा, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ. आर.सी. द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 28/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्राचार्य एवं श्रीमती संगीता दुबे, उप-प्राचार्य उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था स्वर्गीय रामनारायण सेवा समिति द्वारा संचालित है। संस्था में छात्रावास, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय व प्रयोगशालाएँ उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। टीचिंग एवं अन्य स्टॉफ तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए रुपये 35,000/- फीस निर्धारित करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 5,66,968/- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

24. विप्र कला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जी.ई. रोड़, आमनाका, रायपुर (छ.ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 28/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में

संस्था के डॉ. मेघेश तिवारी, प्राचार्य एवं दिव्या शर्मा, विभागाध्यक्ष उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था छत्तीसगढ़ युवा विकास संगठन द्वारा संचालित है। संस्था में छात्रावास, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय (डिजिटल एवं ई-बुक), प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। टीचिंग एवं अन्य स्टॉफ तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए रुपये 47,800/- फीस निर्धारित करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 98,48,726.30/-- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

25. विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, परमहंस नगर, कोटा, रायपुर (छ.ग.) में संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 28/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. ओमप्रकाश वर्मा, संचालक एवं श्रीमती रश्मि वर्मा, प्राचार्य उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था विवेकानंद विद्यापीठ समिति द्वारा संचालित है। संस्था में छात्रावास नहीं है, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। टीचिंग एवं अन्य स्टॉफ तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए रुपये 50,000/- फीस निर्धारित करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 57,58,191.56/-- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।



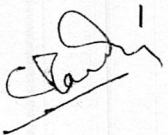
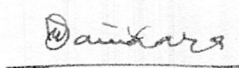

26. विकास शिक्षा महाविद्यालय, देवपुरी, फुंडहर रोड, सब्जी मंडी के बाजू में, डूमरतराई, रायपुर (छ.ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से दिनांक 28/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. सुरेश शुक्ला, संचालक एवं श्रीमती संगीता दुबे, उप-प्राचार्य उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था विकास शिक्षण संस्थान द्वारा अन्य पाठ्यक्रम के साथ-साथ संचालित है। संस्था में छात्रावास नहीं है, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। टीचिंग एवं अन्य स्टाफ तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए फीस प्रस्तावित नहीं किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 4,27,541.40/-- का घाटा (Deficit) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

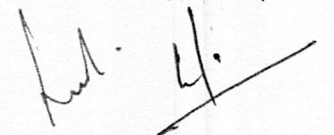
27. नेताजी सुभाष कॉलेज, बेलभाटा, अभनपुर, रायपुर (छ.ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से दिनांक 29/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. वी.के. मिश्रा, प्राचार्य एवं श्री ललित मिश्रा उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। स्वर्गीय निर्मला देवी स्मृति शिक्षण समिति द्वारा बी.एड. के साथ-साथ अन्य पाठ्यक्रम संचालित है। संस्था में छात्रावास नहीं है, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय (डिजिटल एवं ई-बुक सहित) व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। टीचिंग एवं अन्य स्टाफ तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु फीस रुपये 42,000/- निर्धारित करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के आडिट रिपोर्ट के

अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 12,79,069.77/- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

28. महात्मा गांधी कॉलेज, गुरुद्वारा के पीछे, स्टेशन रोड़, रायपुर (छ.ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 29/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. सोनाली चन्नावार, प्राचार्य एवं श्री सिद्धार्थ प्रमोद, संचालक उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था अभिनव शैक्षणिकोत्तर सामाजिक उत्थान समिति द्वारा बी.एड. के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित है। संस्था में छात्रावास नहीं है, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। टीचिंग एवं अन्य स्टॉफ तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु फीस रुपये 45,000/- निर्धारित करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 15,39,859.00/- रुपये का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

29. के.डी. खंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, वीर सावरकर नगर, नंदनवन, जिला-रायपुर (छ.ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 29/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. सीमा अग्रवाल, प्राचार्य उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था जी.डी.खंगटा फाउन्डेशन द्वारा बी.एड. के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित है। संस्था में छात्रावास निर्माणाधीन है, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय (डिजिटल) व

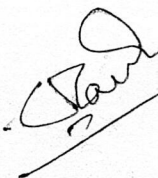
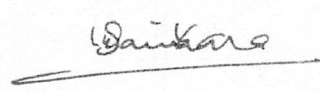



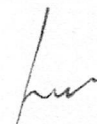
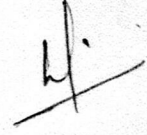


प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है । टीचिंग एवं अन्य स्टॉफ तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु फीस रुपये 38,720/- निर्धारित करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 46,70,919/- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है । शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

30. सी.आई.टी. बी.एड. कॉलेज, विद्याविहार, एन.एच.-43, भेलवाडीह, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर. सी. द्वारा वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से दिनांक 29/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. लेखराज साहू, प्राचार्य उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था मानव रचना एजुकेशन सोसायटी द्वारा संचालित है । संस्था में छात्रावास है, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है । टीचिंग एवं अन्य स्टॉफ तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु फीस रुपये 40,000/- निर्धारित करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 68,65,247.32/- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है । शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

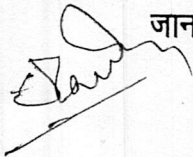
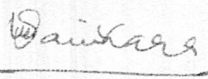
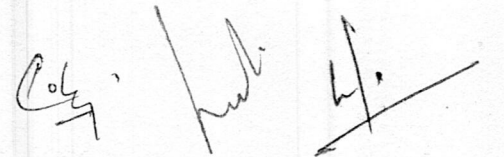
31. वीरेन्द्र दीपक शिक्षा महाविद्यालय, मेन रोड, पोस्ट-जामगांव, फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद (छ.ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से दिनांक 29/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में

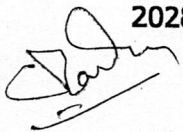
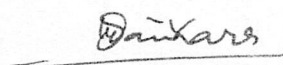
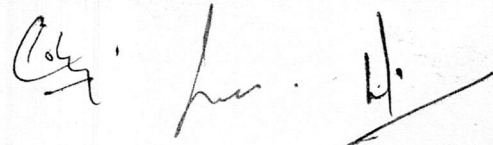
संस्था के डॉ. लखन बोहाने, प्राचार्य उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था सामाजिक चेतना मंच समिति द्वारा अन्य पाठ्यक्रमों के साथ-साथ संचालित है। संस्था में छात्रावास उपलब्ध है, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। टीचिंग एवं अन्य स्टाफ तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए फीस प्रस्तावित नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 6,564.38/— का घाटा (Deficit) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

32. सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, सुभाष नगर, अंबिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से दिनांक 29/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. श्रद्धा मिश्रा, प्राचार्य एवं रानी रजक, विभागाध्यक्ष उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था सरस्वती शिशु मंदिर समिति द्वारा संचालित है। संस्था में छात्रावास नहीं है, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। टीचिंग एवं अन्य तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए फीस रुपये 35,000/- प्रस्तावित किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 35,991.83/— का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

33. सांभवी स्कूल ऑफ एजुकेशन, ग्राम-दुसेरा, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 30/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. बलराम प्रसाद झारिया, प्राचार्य उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था करिश्मा एजुकेशन सोसायटी द्वारा संचालित है। संस्था में छात्रावास नहीं है, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। टीचिंग एवं अन्य तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए फीस रुपये 40,000/- प्रस्तावित किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 1,14,90,618.37/- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

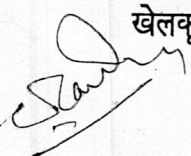
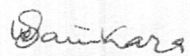
34. सेंट वीसेंट पेलोटी कॉलेज, लोधीपारा कांपा, रायपुर (छ.ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 30/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. कुलदीप दुबे, प्राचार्य उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था विद्या प्रोत्साहन संघ द्वारा अन्य पाठ्यक्रमों के साथ-साथ संचालित है। संस्था में छात्रावास उपलब्ध है, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय (डिजिटल एवं ई-बुक सहित) व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। संस्था को वर्ष 2021 में NAAC B++ ग्रेड प्राप्त हुआ है। टीचिंग एवं अन्य स्टाफ (विश्वविद्यालय परिनियम के अनुसार नियुक्त है) तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु फीस रुपये 50,000/- निर्धारित करने का

निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 2,42,257.15/- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

35. संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय, राजमोहनी वार्ड-12, अंबिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 30/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. अंजन सिंह, प्राचार्य एवं डॉ. पूजा दुबे, विभागाध्यक्ष उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था संत हरकेवल शिक्षण समिति द्वारा अन्य पाठ्यक्रमों के साथ-साथ संचालित है। संस्था में छात्रावास है, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। टीचिंग एवं अन्य स्टॉफ तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु फीस रुपये 76,000/- निर्धारित करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 22,55,843.34/- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

36. साईं सदन एजुकेशन स्कूल शिक्षा महाविद्यालय, ग्राम-बेंदरी, ब्लॉक-अभपनुर, जिला-रायपुर (छ. ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 30/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. प्रियंवदा मिश्रा, प्राचार्य उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था रामरतन गीता समिति द्वारा अन्य पाठ्यक्रमों के साथ-साथ संचालित है। संस्था में छात्रावास नहीं है, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं




उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। टीचिंग एवं अन्य स्टाफ तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु फीस रुपये 32,500/- निर्धारित करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 64,601.00/- का घाटा (Deficit) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

37. पार्वती इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग रिसर्च एंड मैनेजमेंट, बी.एड.कॉलेज केम्पस, मदनपुर, पोस्ट-सिलफिली, जिला-सुरजपुर (छ.ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 30/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. छबीरानी मण्डल, प्राचार्य एवं श्री प्रमेन्द्र तिवारी, संचालक उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था पार्वती एजुकेशनल सोसायटी द्वारा संचालित है। संस्था में छात्रावास है, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय व प्रयोगशालाएँ उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। टीचिंग एवं अन्य स्टाफ (विश्वविद्यालय परिनियम के अनुसार नियुक्त हैं) तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु फीस रुपये 45,000/- निर्धारित करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 16,23,219.40/- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

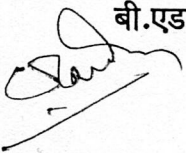
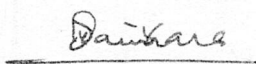
38. गुरुकुल इंस्टीट्यूट, कृषि मंडी के पीछे, जिला- गरियाबंद (छ.ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 30/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के श्री भुपेन्द्र

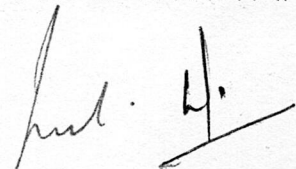
साहू, प्रभारी प्राचार्य उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था स्वर्गीय निर्मला देवी स्मृति शिक्षण समिति द्वारा अन्य पाठ्यक्रमों के साथ-साथ संचालित है। संस्था में छात्रावास उपलब्ध है, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। टीचिंग एवं अन्य स्टाफ तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु फीस रुपये 40,000/- निर्धारित करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के संयुक्त आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 1,72,536.00/- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

39. इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस, देवभोग रोड़, जिला- गरियाबंद (छ.ग.) का वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 31/07/2026 को चर्चा एवं अवलोकन किया गया। चर्चा के दौरान संस्था के डॉ. राजीव गुप्ता, संचालक एवं डॉ. सत्येन्द्र तिवारी, प्राचार्य उपस्थित हुए, उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था दुर्गा देवी स्मृति सेवा समिति द्वारा संचालित है। संस्था में छात्रावास, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय (डिजिटल नहीं है) व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। टीचिंग एवं अन्य स्टाफ तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए फीस रुपये 40,000/- निर्धारित करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 9,25,329.65/- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

40. सूर्या कॉलेज, गीदम रोड़, जगदलपुर, जिला-बस्तर (छ.ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से दिनांक 31/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. श्रीकांत भारद्वाज, प्राचार्य उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था बस्तर विकास समिति द्वारा संचालित है। संस्था में छात्रावास नहीं है, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय (डिजिटल नहीं है) व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। टीचिंग एवं अन्य स्टॉफ तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए रु. 40,000/- निर्धारित करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 1,08,78,805/- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था "ना लाभ ना हानि" के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

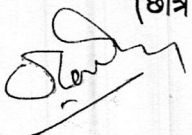
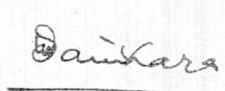
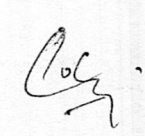
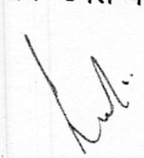
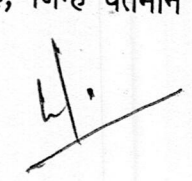
41. आदर्श महाविद्यालय, कुशाभाउ ठाकरे युनिवर्सिटी के पीछे, सेजबहार कॉलोनी, मुर्गा रोड़, दतरेंगा, जिला-रायपुर (छ.ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से दिनांक 31/07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. बर्नाली राय, प्राचार्य एवं श्री सतिन्दर सिंह, प्रशासक उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था आदर्श नर्सिंग इंस्टीट्यूट प्रा.लि. द्वारा अन्य पाठ्यक्रमों के साथ-साथ संचालित है। संस्था में छात्रावास, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय (डिजिटल एवं ई-बुक) व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। टीचिंग एवं अन्य स्टॉफ तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए फीस रुपये 45,000/- निर्धारित करने का निवेदन किया है।



वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के संयुक्त आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 33,90,960/- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

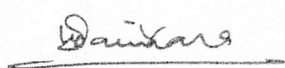
42. श्रीराम कॉलेज, सारागांव, बलौदा बाजार रोड़, खरोरा, जिला-रायपुर (छ.ग.) में संचालित बी. एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से दिनांक 31.07/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. सोनाराम वर्मा, प्राचार्य एवं डॉ. प्रवीण झालानी, प्रबंधक उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था मंगलम एज्युकेशन सोसायटी द्वारा संचालित है। संस्था में छात्रावास नहीं है, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय (डिजिटल नहीं है) व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। टीचिंग एवं अन्य स्टॉफ तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए फीस रु. 35,000/- निर्धारित करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 5,853.76 का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।
43. आयुष कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेडुका, जिला-जीपीएम में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से दिनांक 03/08/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के श्री अजय जायसवाल, संचालक एवं डॉ.एस.के. गौतम, प्राचार्य उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था मेडुका कृषि शिक्षण समिति द्वारा अन्य पाठ्यक्रमों के साथ-साथ संचालित है। संस्था में छात्रावास (छात्र एवं छात्राएं), खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान

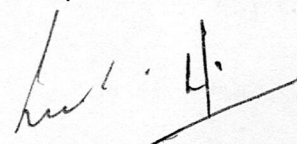






में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है । टीचिंग एवं अन्य स्टॉफ तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए फीस रुपये 45,000/- निर्धारित करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के संयुक्त आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 5,73,974/- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है । शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

44. आयुष कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मरवाही, जिला-जीपीएम में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से दिनांक 03/08/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. दिग्विजय पचौरी, प्राचार्य उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था मेडुका कृषि शिक्षण समिति द्वारा संचालित है । संस्था में छात्रावास, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है । टीचिंग एवं अन्य स्टॉफ तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए उचित फीस बढ़ाने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 19,05,413/- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है । शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

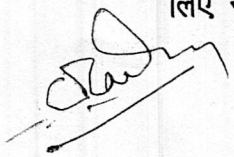
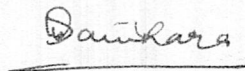
45. एस.एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सारबहरा, पेण्ड्रा रोड़, जिला- जीपीएम (छ.ग.) में संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फेंसिंग के माध्यम से दिनांक 01/09/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. अब्दुल सत्तार, प्राचार्य उपस्थित हुए। उन्हें अपनी पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया गया।

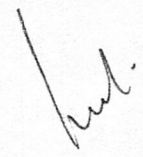
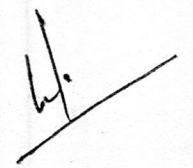





उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था मरियम एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी में अन्य पाठ्यक्रमों के साथ-साथ संचालित है। संस्था में छात्रावास नहीं है, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय व प्रयोगशालायें (NCTE के अनुरूप) उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। टीचिंग स्टाफ एवं अन्य स्टाफ तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए फीस रु. 40,000/- निर्धारित करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के संस्था के संयुक्त आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 10,57,074.54/- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

46. जहां तक लोन पर ब्याज का प्रश्न है, यह राशि छात्रों के ऊपर नहीं लादी जा सकती है, जैसा कि ऊपर PA Inamdar Vs. State of Maharashtra (2005 AIR SCW 3923) वाले प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का उल्लेख किया जा चुका है। यह तथ्य पूर्व में शासन द्वारा गठित फीस कमेटी, जिसके अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति झा थे, के समक्ष भी आया था। उन्होंने लोन पर ब्याज को फीस की गणना में शामिल करने से इंकार किया है एवं सभी शिक्षण संस्थाओं के शुल्क निर्धारण में यही सिद्धांत को समिति ने अपनाया भी है और यह इस्लामिक स्टेट सेंटर के निर्णय में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उल्लेखित है। संस्था को अपने स्रोतों का उपयोग करना चाहिए और उसके आधार पर ही राशि खर्च की जानी चाहिए। इस तरह के कोई भी व्यय छात्रों के ऊपर नहीं लादे जा सकते, क्योंकि शिक्षण संस्थाएं व्यापार और लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं होनी चाहिए, जैसा कि ऊपर वर्णित न्याय दृष्टांतों से स्पष्ट है और अधिनियम, 2008 में भी इस बात का उल्लेख धारा-9 में है कि समिति द्वारा निर्धारित की गई फीस शिक्षा में मुनाफाखोरी एवं उसके वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी।

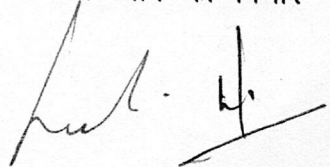
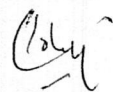
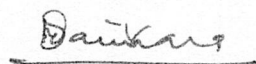
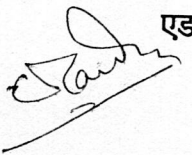



47. शिक्षण संस्थाओं द्वारा शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के वेतन आदि में जो राशि व्यय की जा रही है वह तो फीस के निर्धारण में विचार में ली ही जाएगी, लेकिन उतनी ही फीस स्वीकार योग्य रहेगी, जो शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुरूप होगी। यदि शिक्षण संस्थाएं उससे अधिक राशि व्यय कर रही है, तो यह भार अतिरिक्त रूप से छात्रों पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता।
48. इसके अतिरिक्त समिति का यह भी अभिमत है कि संस्था द्वारा जरूरी आवश्यक खर्च किए जा रहे हैं वह भी फीस के निर्धारण में विचार में लिए जाएंगे। जो महत्वपूर्ण शीर्ष है, वह निम्नानुसार माने जा सकते हैं:-

Prominent Heads (महत्वपूर्ण शीर्ष)

1. Teaching staff expenditure
2. Non-Teaching Staff expenditure
3. Workshop consumable
4. Electricity expenditure
5. Telephone, internet and softwares
6. Water and & Cleaning expenditure
7. Travel & Conveyance
8. Repairing & Maintenance
9. Operation & Administrative expenses
10. Printing, Postage and Stationary
11. Insurance, Tax
12. Processing fees (AFRC, University, Council and Deptt)
13. Educational Tour exp.
14. Sports & NSS
15. Annual social exp.
16. Research & Development
17. Other misc. expenses

49. फीस निर्धारण किए जाने के पूर्व यह विचार किया जाना भी उचित होगा कि छत्तीसगढ़ में न केवल बी.एड. शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, जिससे छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक छात्र बी.एड. शिक्षा प्राप्त कर सकें। अतः इस हेतु छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय को विचार में

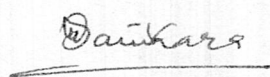


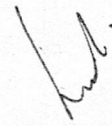
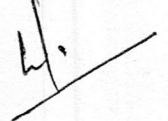
रखना आवश्यक है, वहीं यह भी विचार किया जाना आवश्यक है कि संबंधित बी.एड. महाविद्यालय ने अपने स्थापना आदि का खर्च सही रूप से प्रस्तुत किया है, जिससे कि संस्था अपने शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार कर सकें। अतः छात्र एवं महाविद्यालय दोनों के हितों को विचार में रखते हुए यह आवश्यक होगा कि युक्तियुक्त और न्यायसंगत तरीके से फीस का निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में तथा छत्तीसगढ़ की आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों तथा पूर्व में फीस के निर्धारण को विचार में रखते हुए किया जाना युक्तिसंगत होगा। अतः इन समस्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए फीस का निर्धारण किया जा रहा है।

50. इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन विरुद्ध स्टेट ऑफ कर्नाटका राज्य के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा-156 में जो Observation (अवलोकन) उल्लेखित किया है वह निम्नानुसार है:-

“While this court has not laid down any fixed guidelines as regards fee structure, in my opinion, reasonable surplus should ordinarily vary from 6% to 15% as such surplus would be utilized for expansion of the system and development of education”

51. सामान्य तौर पर शिक्षण संस्थाओं के फीस का निर्धारण करने के लिए अनेक बिंदु पर विचार किया जाता है। फीस निर्धारण के लिए भारतवर्ष एवं राज्यों के आर्थिक आंकड़ों को विचार में लिया जा सकता है।
52. भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जो होलसेल प्राईस इण्डेक्स वर्ष 2011-12 को आधारवर्ष मानते हुए जो गणना की गई है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 155, वर्ष 2024-25 में 154.5 एवं वर्ष 2025-26 में 158.2 वर्णित है।
53. इसी तरह इन्फ्लेशन इण्डेक्स का भी उल्लेख यहां किया जाना समुचित है जिसमें वर्ष 2001-02 को आधारवर्ष मानते हुए गणना की गई है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3 प्रतिशत, वर्ष 2024-25 में 4 प्रतिशत, वर्ष 2025-26 में 3.4 प्रतिशत अनुमानित अंक पाये गये।

54. छ.ग. राज्य सम्पन्न राज्य नहीं है। इस राज्य में वर्ष 2024 से 2025 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रु. 1,62,870/- है, मध्यप्रदेश में वर्ष 2024 से 2025 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रु. 1,69,050/- है, महाराष्ट्र में वर्ष 2024 से 2025 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रु. 3,47,903/- एवं भारत की वर्ष 2024 से 2025 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रु. 2,20,000/- है।
55. जैसा कि ऊपर प्रति व्यक्ति आय का उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ धनी राज्यों की श्रेणी में नहीं है और छत्तीसगढ़ की जनता अत्यधिक खर्च उठाने के लिए सक्षम भी नहीं है और फीस निर्धारण करने के समय छत्तीसगढ़ राज्य की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। संबंधित महाविद्यालय की गुणवत्ता एवं पाठ्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए तथा छ.ग. की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को विचार में रखते हुए जबकि छ.ग. राज्य एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की आमदनी अन्य वर्ग की अपेक्षा निश्चित रूप से कम होती है, को विचार में रखते हुए तथा छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है, के छात्र कम से कम अपने राज्य में बी. एड. पाठ्यक्रम में बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके।
56. पूर्व में इन सभी शिक्षण संस्थाओं में संचालित बी.एड./एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु ए.एफ.आर. सी. द्वारा फीस निर्धारित किया गया था, जो निम्नवत् है :-

स. क्र.	महाविद्यालय का नाम	वर्ष जिसके लिए फीस का अंतिम निर्धारण किया गया	कुल फीस प्रति वर्ष/प्रति छात्र (सम्मिलित ट्यूशन फीस, लायब्रेरी, लेबोरेटरी, ग्रोथ एवं डेव्लपमेंट चार्जस एवं सभी फीस)	
			बी.एड.	एम.एड.
1.	पं. हरिशंकर शुक्ला मेमोरियल महाविद्यालय, कचना रोड, रायपुर (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 33,670/-	Rs. 53,850/-
2.	प्रगति कॉलेज, सेन्टर एवेन्यू, चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 32,670/-	Rs. 52,850/-
3.	ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 32,970/-	Rs. 52,850/-

Dankara

4.	कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेडुका, जिला- गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 32,970/-	Rs. 53,150/-
5.	दिशा कॉलेज, रामनगर, कोटा मार्ग, रायपुर (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 33,970/-	----
6.	मार्गदर्शन संस्थान शिक्षा महाविद्यालय, श्री सर्वेश्वरी तलवापारा, बैकुण्ठपुर, कोरिया (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 33,970/-	----
7.	दुर्गा महाविद्यालय, के.के.रोड़, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.),	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 31,970/-	----
8.	सेन्ट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एन.एच.06, रिंग रोड़ नंबर-3, ग्राम-तुलसी, मंदिरहसौद, रायपुर (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 32,670/-	----
9.	समाधान कॉलेज, ग्राम- फरी, पोस्ट-बीजाभांठा, जिला बेमेतरा (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 33,670/-	----
10.	स्पेक्ट्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नरदहा, तहसील-मंदिर हसौद, आरंग, जिला- रायपुर (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 31,670/-	----
11.	रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, 58-59, सुंदरनगर, रायपुर (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 33,670/-	----
12.	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, राजिम, तहसील अभनपुर, जिला- रायपुर (छ. ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 32,970/-	----
13.	दिशा कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सत्या विहार, विधानसभा रोड, चंद्रखुरी, रायपुर (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 32,870/-	----
14.	डॉ.आर.एन.एस. शिक्षा महाविद्यालय, वार्ड नंबर-03, महुआपारा,	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 32,970/-	----

[Signature]

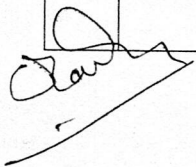
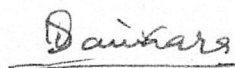
Dainkara

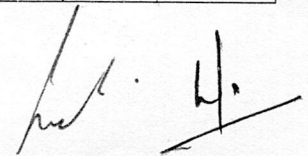
[Signature]

[Signature]

[Signature]

	जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)			
15.	विप्रकला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जी.ई. रोड़, आमनाका, रायपुर (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 33,970/-	----
16.	विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, परमहंस नगर, कोटा, रायपुर (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 33,900/-	----
17.	विकास शिक्षा महाविद्यालय, देवपुरी, फुंडहर रोड, सब्जी मंडी के बाजू में, डूमरतराई, रायपुर (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 32,670/-	----
18.	नेताजी सुभाष कॉलेज, बेलभाटा, अभनपुर, रायपुर (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 33,670/-	----
19.	महात्मा गांधी कॉलेज, गुरुद्वारा के पीछे, स्टेशन रोड, रायपुर (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 32,670/-	----
20.	के.डी. रूगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, वीर सावरकर नगर, नंदनवन, जिला-रायपुर (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 33,670/-	----
21.	सी.आई.टी. बी.एड. कॉलेज, विद्याविहार, एन.एच.-43, भेलवाडीह, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 32,970/-	----
22.	वीरेन्द्र दीपक शिक्षा महाविद्यालय, मेन रोड, पोस्ट-जामगांव, फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 31,970/-	----
23.	सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, सुभाष नगर, अंबिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 32,970/-	----
24.	सांभवी स्कूल ऑफ एजुकेशन, ग्राम-दुसेरा, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 33,670/-	----



25.	सेंट विंसेंट पेलेटी कॉलेज, लोधीपारा कांपा, रायपुर (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 33,970/-	----
26.	संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय, राजमोहनी वार्ड-12, अंबिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 31,970/-	----
27.	साईं सदन एजुकेशन स्कूल शिक्षा महाविद्यालय, ग्राम-बेंदरी, ब्लॉक-अभपनुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 31,670/-	----
28.	पार्वती इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग रिसर्च एंड मैनेजमेंट, बी.एड. कॉलेज केम्पस, मदनपुर, पोस्ट-सिलफिली, जिला-सुरजपुर (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 32,970/-	----
29.	गुरुकुल इंस्टीट्यूट, कृषि मंडी के पीछे, जिला- गरियाबंद (छ. ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 32,670/-	----
30.	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस, जनपद पंचायन के पीछे, देवभोग रोड़, जिला- गरियाबंद (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 32,670/-	----
31.	सूर्या कॉलेज, गीदम रोड़, जगदलपुर, जिला- बस्तर (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 32,970/-	----
32.	आदर्श महाविद्यालय, कुशाभाउ ठाकरे युनिवर्सिटी के पीछे, सेजबहार कॉलोनी, मुर्गा रोड़, दततरेगा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 34,697/-	----
33.	श्रीराम कॉलेज, सारागांव, बलौदा बाजार रोड़, खरोरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 31,670/-	----
34.	आयुष कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेडुका, जिला-जीपीएम	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 32,970/-	----
35.	आयुष कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मरवाही, जिला-जीपीएम	2023-2024 2024-2025	Rs. 32,970/-	----



Bankara

Colg

h.

h.

		2025-2026		
36.	एस.एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पेन्द्रा रोड़, सरबहारा, पेन्द्रा रोड़, जिला-गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 32,670/-	----

57. तदनुसार उपरोक्त आधारों पर ए.एफ.आर.सी. निम्नांकित संस्थाओं में संचालित बी.एड./एम. एड. पाठ्यक्रम हेतु फीस का अंतिम निर्धारण उनके नाम के सम्मुख वर्षों के लिए किया जाता है। जो पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने से पूर्ण होने तक प्रभावशील रहेगी :-

स. क्र.	महाविद्यालय का नाम	वर्ष जिसके लिए फीस का अंतिम निर्धारण किया गया	कुल फीस प्रति वर्ष/ प्रति छात्र (सम्मिलित ट्यूशन फीस, लायब्रेरी, लेबोरेटरी, ग्रोथ एवं डेव्लपमेंट चार्जस एवं सभी फीस)	
			बी.एड.	एम.एड.
1.	पं. हरिशंकर शुक्ला मेमोरियल महाविद्यालय, कचना रोड़, रायपुर (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 37,700/-	Rs. 55,000/-
2.	प्रगति कॉलेज, सेन्टर एवेन्यू, चौबे कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 36,500/-	Rs. 55,000/-
3.	ग्रेसियस कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 36,900/-	Rs. 55,000/-
4.	कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेडुका, जिला- गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 36,200/-	Rs. 55,000/-
5.	दिशा कॉलेज, रामनगर, कोटा मार्ग, रायपुर (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 38,000/-	----
6.	मार्गदर्शन संस्थान शिक्षा महाविद्यालय, श्री सर्वेश्वरी तलवापारा, बैकुण्ठपुर, कोरिया (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 37,300/-	----
7.	दुर्गा महाविद्यालय, के.के.रोड़, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.),	2026-2027 2027-2028	Rs. 35,800/-	----

[Signature]

[Signature]

[Signature]

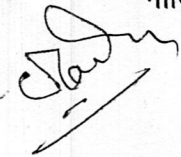
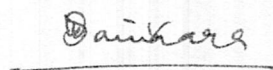
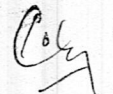
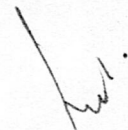
[Signature]

		2028-2029		
8.	सेन्ट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एन.एच.06, रिंग रोड नंबर-3, ग्राम-तुलसी, मंदिरहसौद, रायपुर (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 35,900/-	----
9.	समाधान कॉलेज, ग्राम- फरी, पोस्ट-बीजाभांठा, जिला बेमेतरा (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 38,300/-	----
10.	स्पेक्ट्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नरदहा, तहसील-मंदिर हसौद, आरंग, जिला- रायपुर (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 35,100/-	----
11.	रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, 58-59, सुंदरनगर, रायपुर (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 37,700/-	----
12.	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, राजिम, तहसील अभनपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 36,900/-	----
13.	दिशा कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सत्या विहार, विधानसभा रोड, चंद्रखुरी, रायपुर (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 36,100/-	----
14.	डॉ.आर.एन.एस. शिक्षा महाविद्यालय, वार्ड नंबर-03, महुआपारा, जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 36,200/-	----
15.	विप्रकला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जी.ई. रोड, आमानाका, रायपुर (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 38,000/-	----
16.	विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, परमहंस नगर, कोटा, रायपुर (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 38,300/-	----
17.	विकास शिक्षा महाविद्यालय, देवपुरी, फुंडहर रोड, सब्जी मंडी के बाजू में, डूमरतराई, रायपुर (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 35,900/-	----
18.	नेताजी सुभाष कॉलेज, बेलभाटा, अभनपुर, रायपुर (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 37,700/-	----

19.	महात्मा गांधी कॉलेज, गुरुद्वारा के पीछे, स्टेशन रोड, रायपुर (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 35,900/-	----
20.	के.डी. रूगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, वीर सावरकर नगर, नंदनवन, जिला-रायपुर (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 37,700/-	----
21.	सी.आई.टी. बी.एड. कॉलेज, विद्याविहार, एन.एच.-43, भेलवाडीह, नवा रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 36,200/-	----
22.	वीरेन्द्र दीपक शिक्षा महाविद्यालय, मेन रोड, पोस्ट-जामगांव, फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 35,100/-	----
23.	सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, सुभाष नगर, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 36,600/-	----
24.	सांभवी स्कूल ऑफ एजुकेशन, ग्राम-दुसेरा, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 37,000/-	----
25.	सेंट विसेंट पेलोटी कॉलेज, लोधीपारा कांपा, रायपुर (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 38,000/-	----
26.	संत हरकेवल शिक्षा महाविद्यालय, राजमोहनी वार्ड-12, अंबिकापुर, जिला- सरगुजा (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 35,100/-	----
27.	साई सदन एजुकेशन स्कूल शिक्षा महाविद्यालय, ग्राम-बेंदरी, ब्लॉक-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 35,400/-	----
28.	पार्वती इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग रिसर्च एंड मैनेजमेंट, बी.एड. कॉलेज केम्पस, मदनपुर, पोस्ट-सिलफिली, जिला-सुरजपुर (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 36,200/-	----

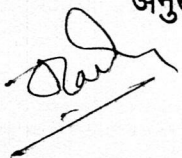
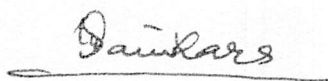
29.	गुरुकुल इंस्टीट्यूट, कृषि मंडी के पीछे, जिला- गरियाबंद (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 35,900/-	----
30.	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस, जनपद पंचायन के पीछे, देवभोग रोड़, जिला- गरियाबंद (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 36,500/-	----
31.	सूर्या कॉलेज, गीदम रोड़, जगदलपुर, जिला- बस्तर (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 36,200/-	----
32.	आदर्श महाविद्यालय, कुशाभाउ ठाकरे युनिवर्सिटी के पीछे, सेजबहार कॉलोनी, मुर्दा रोड़, दतरेगा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 38,800/-	----
33.	श्रीराम कॉलेज, सारागांव, बलौदा बाजार रोड़, खरोरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 34,800/-	----
34.	आयुष कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेडुका, जिला-जीपीएम	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 36,200/-	----
35.	आयुष कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मरवाही, जिला-जीपीएम	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 36,200/-	----
36.	एस.एस. कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पेन्द्रा रोड़, सरबहारा, पेन्द्रा रोड़, जिला-गौरेला-पेन्द्रा-मरवाही	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs. 36,500/-	----

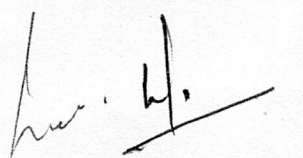
58. छात्रावास, मेस और कॉलेज आने-जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा वैकल्पिक रहेगी। प्रत्येक छात्र/छात्राओं के लिए यह बाध्यता नहीं है कि उसका उपयोग करें यह स्वैच्छिक है। छात्रावास, मेस एवं ट्रांसपोर्टेशन शुल्क “न लाभ न हानि” (NO PROFIT NO LOSS) के आधार पर केवल उपयोगकर्ता छात्र/छात्राओं से ही लिया जाना है, अन्य छात्रों से नहीं लिया जा सकेगा।
59. संस्था द्वारा ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य मदों में जो फीस ली जावेगी उसका पूरा विवरण नोटिस बोर्ड, संस्था की वेबसाइट तथा प्रवेश हेतु जारी किए जाने वाले प्रॉस्पेक्टस में उल्लेखित


होगी। प्रॉस्पेक्टस काउंसिलिंग के पूर्व अनिवार्य रूप से जारी करेंगे तथा प्रॉस्पेक्टस की एक प्रति प्रवेश तथा फीस विनियामक सचिवालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

60. संस्था छात्र से रु. 2,000/- (रुपए दो हजार मात्र) प्रति छात्र एकमुश्त प्रवेश के समय काशनमनी के रूप में प्रावधानित राशि ले सकेगी, जो छात्र के संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य होगी।
61. संस्था द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस लेना अथवा समिति द्वारा निर्धारित मद से अन्य मद में फीस लेना केपिटेशन फीस कहलाएगी एवं दोषी संस्था के ऊपर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
62. विश्वविद्यालय शुल्क एवं काउंसिलिंग शुल्क, राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गये नियमों के तहत ही लिया जा सकेगा।
63. समिति द्वारा निर्धारित की गई फीस अधिकतम है, कोई संस्था चाहे तो इससे कम फीस भी ले सकती है।
64. संस्था द्वारा छात्र से प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाणपत्र एवं माईग्रेशन प्रमाणपत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाणपत्र (जैसे 10वीं, 12वीं की मूल अंकसूची, मूल निवासी एवं जाति प्रमाणपत्र आदि) जमा नहीं कराया जावेगा। केवल सत्यापन हेतु उसका अवलोकन किया जा सकता है।
65. छात्र द्वारा निर्धारित अवधि में प्रवेश के एक माह के अंदर फीस जमा न करने पर संस्था, छात्र से रु. 10/- (रुपये दस मात्र) प्रतिदिन की दर से पहले महीने एवं दूसरे महीने से रु. 15/- (रुपये पन्द्रह मात्र) प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क ले सकेगी, इससे अधिक राशि वह नहीं वसूल कर सकेगी।
66. संबंधित संस्था अपनी उक्त फीस के अतिरिक्त और कोई भी शुल्क यूनिफार्म, आई.डी.-कार्ड, लायब्रेरी-कार्ड, लेबोरेटरी, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-कूद, स्किल लैब एवं एन.एस.एस. फीस आदि मदों भवन, फर्नीचर, उपकरण आदि मदों में वसूल नहीं कर सकेगी।
67. WP(C) 1707/2016 श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायपुर बनाम छ. ग. शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02/02/2017 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार यदि कोई छात्र काउंसिलिंग के दौरान संस्था छोड़ना चाहता है एवं अपना प्रवेश

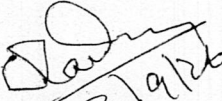


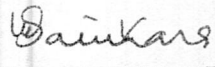
निरस्त कराना चाहता है तो उसे काउंसिलिंग के अंतिम तिथि के 05 दिन पूर्व संबंधित संस्था में प्रवेश निरस्ती संबंधी आवेदन पत्र जमा करनी होगी, तभी उसकी जमा फीस नियमानुसार वापसी योग्य होगी। अन्यथा उच्च न्यायालय के उक्त आदेशानुसार फीस वापस नहीं की जा सकेगी।

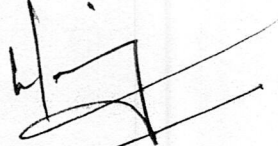
68. छात्र से ली जाने वाली फीस या वापस की गई राशि बैंक के माध्यम से जैसे चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा से ही ली या वापस की जा सकेगी।
69. संस्था प्रतिवर्ष गतवर्ष की आडिट रिपोर्ट नोटिस बोर्ड में चस्पा करेगी।
70. संबंधित संस्था फीस से संबंधित जानकारी एवं स.क्र. 57 से 68 तक की जानकारियां संस्था के नोटिस बोर्ड में बड़े अक्षरों में प्रसारित करेंगे तथा अपनी वेबसाइट में भी अपलोड करेंगे एवं की गई कार्यवाही से ए.एफ.आर.सी. को सूचित करेंगे।

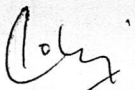
अतः यह ए.एफ.आर.सी. कण्डिका 57 में वर्णित संस्था/महाविद्यालयों में संचालित बी.एड. 2 वर्षीय एवं एम.एड. 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के उपलब्ध अधोसंरचना और अन्य सुविधाओं के आधार पर उनके सम्मुख वर्षों के लिए शैक्षणिक शुल्क का निर्धारण करती है।

संकल्प की प्रति आवश्यक अधिसूचना हेतु राज्य शासन की ओर भेजा जाए तथा एक प्रति वेबसाइट में अपलोड हेतु संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बीटीआई ग्राउण्ड, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर भेजी जाएं।


(डॉ. एम.के. पाण्डेय)
अध्यक्ष
ए.एफ.आर.सी.


(डॉ. यू.एस. पैकरा)
सदस्य (पदेन)
संचालक, चिकित्सा शिक्षा
ए.एफ.आर.सी.


सदस्य (पदेन)
संचालक, तकनीकी शिक्षा
ए.एफ.आर.सी.


(पोखराज सिंह परिहार)
सदस्य (विधि)
ए.एफ.आर.सी.


(अमित चिमनानी)
सदस्य (वित्त)
ए.एफ.आर.सी.